

व्यक्त का मत यह था कि श्री जी जी जी  
के लोचन-दुखाने का उपाय यह व संयम द्वारा  
बायी लड़कियां उपाय - यह भी ऐसा किमई बाद-  
यह का कोई विरोध एकाद लक्षण नहीं किमई  
अतः उपरोक्त विवेकन के आधार पर नारीगणका  
बाद-यह तुलारिक शकीगण डिक्की किमई बाद  
उक्ति है, बाद-यह तुलारिक शकीगण डिक्की  
किमई बाद है, शकीगण किमई व डिक्की  
का पुत्र इटोका। पचम डिक्की बायी है। पचम  
के नला शुभा डेकर कारिल दपुनर भी बायी  
किदेश तुलारिक गण।

(६६)  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
मुम्बई

मूल वाद मे डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, हनुमानगढ  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान जयपुर

पीठासीन अधिकारी :-

- 1-शुभप्रकाश पुत्र श्री लिखमीराम जाति जाट निवासी मटोरियावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ
- 2-मुकेश कुमार पुत्र श्री लिखमीराम जाति जाट निवासी मटोरियावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ
- 3-सिलोचना धर्म पत्नी स्व० महेन्द्र पुत्र लिखमीराम जाति जाट निवासी मटोरियावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ
- 4-योगेश कुमार पुत्र स्व० महेन्द्र जाति जाट नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सिलोचना धर्म पत्नी स्व० महेन्द्र पुत्र लिखमीराम जाति जाट निवासी मटोरियावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ
- 5-भावेश कर्वाण पुत्र स्व० महेन्द्र जाति जाट नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सिलोचना धर्म पत्नी स्व० महेन्द्र पुत्र लिखमीराम जाति जाट निवासी मटोरियावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ


---वादीगण

बनाम

- 1-लिखमीराम पुत्र नंदराम जाति जाट निवासी मटोरियावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ
- 2-माया पुत्री लिखमीराम पत्नी रघुवीर सिंह जाति जाट निवासी 5 बी के एम तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर
- 3-उर्मिला पुत्री लिखमीराम पत्नी अनिल कुमार जाति जाट निवासी 6 जी एम गोमावाली बरानी गोमनवाली तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर
- 4-सुमनपुत्री लिखमीराम पत्नी कृष्ण लाल जाति जाट निवासी 8 जी एम तहसील व जिला श्रीगंगानगर
- 5-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील रावतसर
- 6-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ

---प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा

  
सहायक कलक्टर  
जयपुर

मुकदमा नम्बर - 174/18  
निर्णय दिनांक - 16.6.18

वादी की ओर से श्री उत्तम कुमार शर्मा की व  
प्रतिवादी की ओर से श्री खेमचन्द्र शर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख  
को 16.6.18 (नाम पीताम्बर अधिकारी), सुरेश चंद्र शर्मा (RAS)  
उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष अंतिम निर्णय के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है  
और लिखी गयी है कि :-

1- चक 4 एम डबल्यू खाता संख्या 4/3 में 3036 हे० चक 14 एन डी आर (सी ए डी) रहित खाता  
संख्या 36/72 में 43 हिस्सा लिखमीराम पुत्र नंदराम के नाम दर्ज तहसील हनुमानगढ़ व गांव स्तनादेसर  
तहसील रावतसर के खाता संख्या 143/147 में 5.135 हे० भूमि संयुक्त परिवार की जददी जायदाद  
होने के कारण वादीगण को मुताबिक धराधार बंटवारा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी  
अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर गिन्नाबुस्तार खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अंकन  
किया जावे व रकम राज अलग अलग करारों की जावे :-

क-हिस्सा वादी संख्या 1 शयोप्रकाश


चक नम्बर	प०नं०	गुरबा नं०	किला नम्बर
4 एम डबल्यू	155/338	10	3, 4/506, 5/168 सादादी 674 हे०
खाता सं० 4/3			
14 एन डी आर	संयुक्त खाता में प्रतिवादी संख्या 1 लिखमीराम पुत्र नंदराम के नाम दर्ज		
(सीएडी) रहित	43 हिस्सा लिखमीराम के स्थान पर वादी संख्या 1 शयोप्रकाश		
खाता सं० 36/72			

ख-हिस्सा वादी संख्या 2 मुकेश कुमार

चक नम्बर	प०नं०	गुरबा नं०	किला नम्बर
4 एम डबल्यू	155/338	10	6/.165, 7/.003, 11 ता 14/1.012
खाता सं० 4/3			कुल 1.180 हे०

ग- हिस्सा वादी संख्या 3 ता 5 सिलोचना, योगेश कुमार, भावेश कुमार

चक नम्बर	प०नं०	गुरबा नं०	किला नम्बर
4 एम डबल्यू	155/338	10	5/.085, 6/.088, 7/250, 8 ता 10/759
खाता सं० 4/3			कुल 1.182 हे०

  
सहायक अधिकारी  
पुनर्वास विभाग  
हनुमानगढ़

प- हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लिखमीराम

सैही मौजा खसरा नम्बर

रतनादेसर 114 में 1.846 है०

193 में 3.289 है०

कुल 5.135 है०

यह आज तारीख 4.6.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रां लगाकर दी गई।



( सहयोग कलक्टर )  
सीतापीयादाविचरणी  
उपखण्ड अधिकारी एवं

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official